अध्याय-I

सामान्य

कार्यकारी सारांश

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सीमांत वृद्धि दर	वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य की कुल कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 9,992.11 करोड़ थीं जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 17.28 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि दर को दर्शाता है। जिसमें ₹ 6,953.89 करोड़ कर राजस्व एवं ₹ 3,038.22 करोड़ कर-भिन्न राजस्व है। राज्य ने ₹ 5,257.41 करोड़ सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों से राज्य का अंश के रूप में ₹ 7,169.93 करोड़ प्राप्त किया।
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की अपर्याप्त प्रतिक्रिया	दिसम्बर 2011 तक निर्गत 225 निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं।
लेखापरीक्षा को अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना	वर्ष 2011-12 में चार विभागों (खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन एवं निबंधन) के आठ कार्यालयों द्वारा कर निर्धारण के 33 अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया।
विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों का सीमित प्रभाव	वर्ष के दौरान मात्र 10 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुई एवं ₹ 36.68 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 149 लंबित कंडिकाओं का निपटारा हुआ।
पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान सरकार ने ₹ 1,136.92 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया इसमें से ₹ 785.11 करोड़ की वसूली वर्ष 2011-12 तक की गयी।
लेखापरीक्षा के परिणाम	हमने वर्ष 2011-12 की अवधि में विभिन्न विभागों के 117 इकाइयों की नमूना जाँच की जिसमें 31,791 मामलों में ₹ 1,117.79 करोड़ के कर, शुल्क, रॉयल्टी आदि का अल्पारोपण पाया।

अध्याय - I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2011-12 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों, शुल्कों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों तक की अवधि के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
I.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	3,473.55	3,753.21	4,500.12	5,716.63	6,953.89
	• कर-भिन्न राजस्व	1,601.40	1,951.74	2,254.15	2,802.89	3,038.22
	कुल	**5,074.95**	**5,704.95**	**6,754.27**	**8,519.52**	**9,992.11**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	5,109.83	5,392.11	5,547.57	6,154.35	7,169.93
	• सहायता अनुदान	1,841.77	2,115.78	2,816.63	4,107.25	5,257.41
	कुल	**6,951.60**	**7,507.89**	**8,364.20**	**10,261.60**	**12,427.34**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I एवं II)**[1]	**12,026.55**	**13,212.84**	**15,118.47**	**18,781.12**	**22,419.45**
IV.	**I से III की प्रतिशतता**	**42**	**43**	**45**	**45**	**45**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 9,992.11 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 45 प्रतिशत था। शेष 55 प्रतिशत प्राप्तियाँ, वर्ष 2011-12 के दौरान, भारत सरकार से मिलीं।

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया सरकार के वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या 11- लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- निगम कर, 0021- निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 - आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032- सम्पत्ति पर कर, 0044- सेवा पर कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-लघु शीर्ष-901-निवल प्राप्तियों में राज्यों का समानुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में 'क-कर राजस्व' में दिखाये गये है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संधीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखाया गया है।

1.1.2 नीचे की तालिका 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की तुलना में 2011-12 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1.	मू.व.क./ बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,845.88	2,996.20	3,597.20	4,473.43	5,522.02	(+) 23.44
2.	राज्य उत्पाद	156.86	205.46	322.75	388.34	457.08	(+) 17.70
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	156.26	192.16	238.20	328.35	401.17	(+) 22.18
4.	वाहनों पर कर	135.67	201.57	234.21	312.37	391.92	(+) 25.47
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	76.47	43.47	46.87	53.50	72.76	(+) 36.00
6.	भू-राजस्व	26.26	53.33	41.28	130.65	52.94	(-) 59.48
7.	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	71.07	54.02	12.44	21.08	40.95	(+) 94.26
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.08	7.00	7.17	8.91	15.05	(+) 68.91
कुल		**3,473.55**	**3,753.21**	**4,500.12**	**5,716.63**	**6,953.89**	**(+) 21.64**

स्त्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

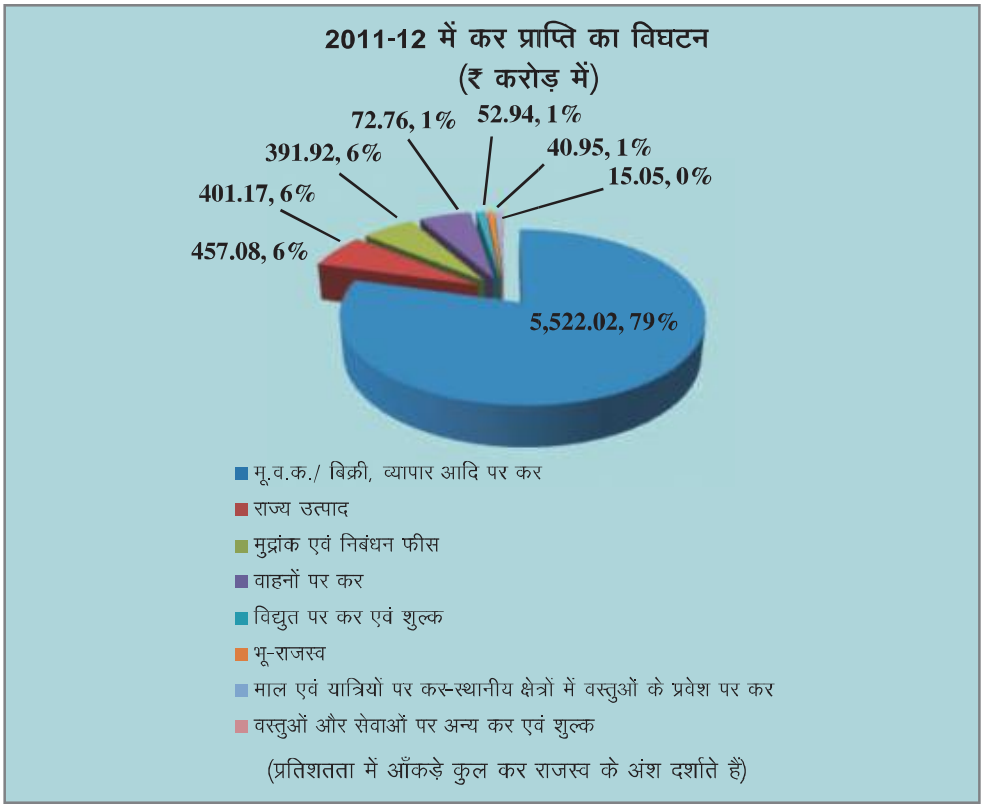

राजस्व के मुख्य शीर्षों से संबंधित वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 की प्राप्तियों में विचरण के निम्नलिखित कारण थे :

मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर: विभाग द्वारा 23.44 प्रतिशत की वृद्धि का कारण कर प्रशासन का बेहतर एवं प्रभावकारी अनुश्रवण बताया गया।

राज्य उत्पाद : 17.70 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा नयी उत्पाद नीति 2009 का लागू होना बताया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस : 22.18 प्रतिशत की वृद्धि का कारण रियल इस्टेट क्षेत्रों में वृद्धि होना बतलाया गया।

वाहनों पर कर : 25.47 प्रतिशत की वृद्धि का कारण झारखण्ड मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत निजी वाहनों पर एक मुश्त कराधान प्रणाली का लागू होना बताया गया।

1.1.3 नीचे की तालिका 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की तुलना में 2011-12 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1.	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,177.77	1,477.94	1,733.15	2,055.90	2,662.79	(+) 29.52
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	4.06	7.20	3.57	4.76	3.71	(-) 22.06
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	87.14	109.53	153.20	98.74	44.16	(-) 55.28
4.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12.57	4.25	13.49	23.85	15.42	(-) 35.35
5.	अन्य	319.86	352.82	350.74	619.64	312.14	(-) 49.63
कुल		**1,601.40**	**1,951.74**	**2,254.15**	**2,802.89**	**3,038.22**	**8.40**

स्त्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

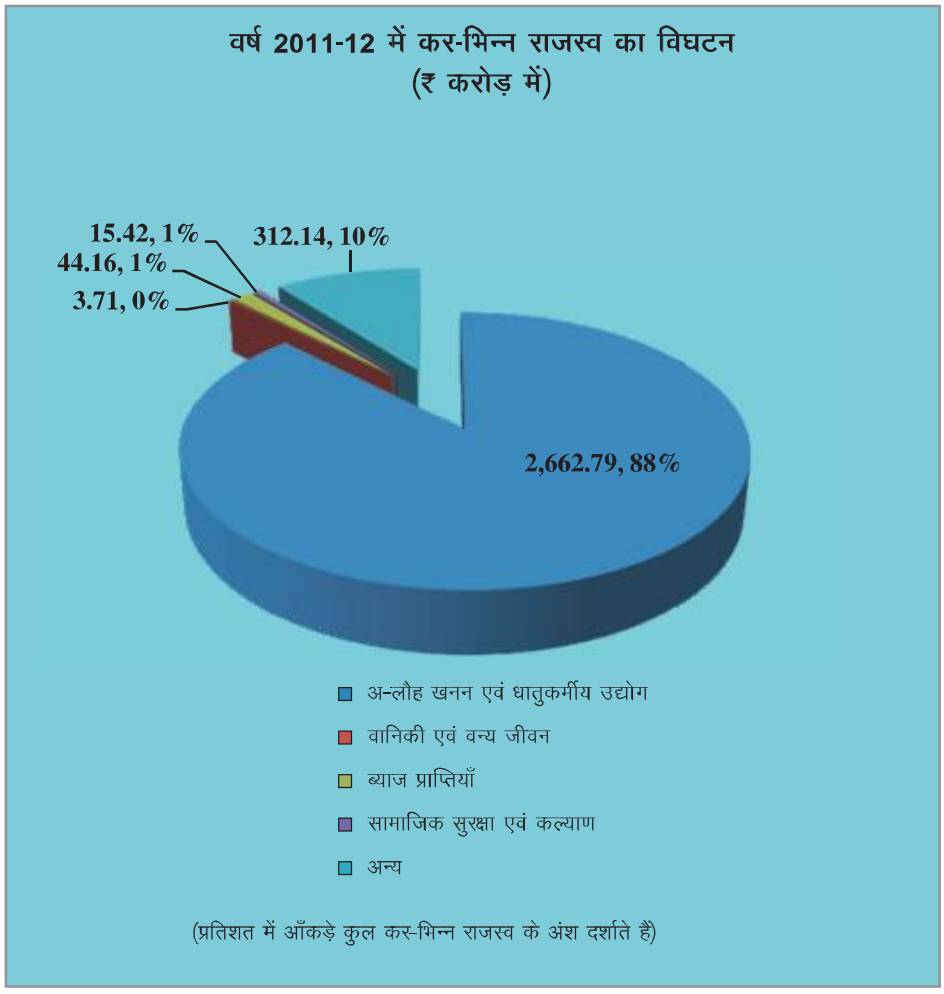

अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग में वर्ष 2011-12 में पिछले वर्ष की तुलना में 29.52 प्रतिशत प्राप्तियों में वृद्धि का कारण लौह अयस्क पर स्वामित्व के दर में वृद्धि, को बताया गया।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विचरण

वर्ष 2011-12 के लिए राजस्व के मुख्य शीर्षों से संशोधित बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कर एवं कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत विचरण निम्नलिखित थे:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण वृद्धि (+) ह्रास (-)	विचरण की प्रतिशतता (+) वृद्धि (-) ह्रास
क. कर राजस्व					
1.	मू.व.क./बिक्री व्यापार आदि पर कर	5,633.25	5,522.02	(-) 111.23	(-) 1.97
2.	राज्य उत्पाद	445.00	457.08	(+) 12.08	(+) 2.71
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	450.00	401.17	(-) 48.83	(-) 10.85
4.	वाहनों पर कर	356.00	391.92	(+) 35.92	(+) 10.09
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	100.00	72.76	(-) 27.24	(-) 27.24
6.	भू-राजस्व	83.49	52.94	(-) 30.55	(-) 36.59
7.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	36.75	15.05	(-) 21.70	(-) 59.05
8.	माल एवं चात्रियों पर कर स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	30.00	40.95	(+) 10.95	(+) 36.50
ख. कर-भिन्न राजस्व					
1.	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2,759.75	2,662.79	(-) 96.96	(-) 3.51
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	4.17	3.71	(-) 0.46	(-) 11.03
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	100.64	44.16	(-) 56.48	(-) 56.12
4.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	33.00	15.42	(-) 17.58	(-) 53.27

स्त्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं 2012-13 के लिए झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों के अनुसार संशोधित अनुमान।

वर्ष 2011-12 के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के संबंध में बजट अनुमान की तुलना में प्राप्ति में कमी का कारण निबंधन हेतु कम संख्या में दस्तावेज को प्रस्तुत करना बताया गया।

अन्य विभागों ने अनुरोध के बावजूद (जून 2012) विचरण के कारण को सूचित नहीं किया।

1.3 संग्रहण की लागत

मुख्य राजस्व प्राप्तियों से सबंधित सकल संग्रहण, इनके संग्रहण पर किये गये व्यय तथा 2011-12 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता, 2010-11 में संग्रहण पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नवत थेः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	2010-11 का औसत आखिल भारतीय प्रतिशतता
1.	मू.व.क./बिक्री व्यापार आदि पर कर	5,522.02	50.20	0.91	0.75
2.	वाहनों पर कर	391.92	4.60	1.17	3.71
3.	राज्य उत्पाद	457.08	15.95	3.49	3.05
4.	मुद्रांक एवं फीस निबंधन	401.17	11.34	2.83	1.60

स्त्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं राज्य उत्पाद के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी। विशेष रूप से मुद्रांक एवं निबंधन फीस के संग्रहण पर लागत बहुत अधिक था। विभाग को इसके कारणों के जाँच की आवश्यकता है एवं संग्रहण के उच्च लागत को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तथापि, वाहनों पर कर के संग्रहण में लागत अखिल भारतीय औसत से कम थी, इसकी हम प्रशंसा करते हैं।

1.4 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को कुछ मुख्य शीर्षों से सबंधित राजस्व ₹ 2,030.78 करोड़ थे जिसमें ₹ 490.46 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे, जैसा कि नीचे वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया	अभ्युक्तियाँ
1.	मू.व.क./बिक्री व्यापार आदि पर कर	1,860.83	371.31	₹ 1,917.81[2] करोड़ में से, ₹ 154.45 करोड़ की माँग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये एवं ₹ 1,304.85 करोड़ एवं ₹ 2.58 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 1.73 करोड़ की मांग आवेदनों के भूल सुधार/समीक्षा किये जाने के कारण स्थगित रखा गया। शेष ₹ 454.20 करोड़ बकाए के सबंध में की गई विशिष्ट कारवाई की सूचना नहीं दी गयी (फरवरी 2013)।

[2] विभाग ने ₹ 1,917.81 करोड़ के वसूली की स्थिति को प्रस्तुत किया यद्यपि विभाग ने कुल ₹ 1,860.83 करोड़ बकाया प्रतिवेदित किया था।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया	अभ्युक्तियाँ
2.	राज्य उत्पाद	31.07	25.29	31 मार्च 2012 को अंतिम शेष ₹ 31.07 करोड़ में से ₹ 13.04 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किए गए, ₹ 15.98 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी, ₹ 10.56 लाख की वसूली पार्टी के दिवालिया होने के कारण रोका गया एवं ₹ 16.08 लाख पर अपलेखन सम्भावित था। शेष ₹ 1.78 करोड़ के बकाये के सबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (फरवरी 2013)।
3.	वाहनों पर कर	137.31	93.86	₹ 104.44 करोड़[3] में से ₹ 94.80 करोड़ की माँग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किए गए। ₹ 1.48 करोड़ पर अपलेखन सम्भावित था। शेष ₹ 8.16 करोड़ बकाये के सबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (फरवरी 2013)।
4	मुद्रांक एव निबंधन फीस	1.57	प्रस्तुत नहीं किया गया	विभाग द्वारा अक्टूबर 2012 में दी गई सूचना के अनुसार ₹ 1.57 करोड़ की सम्पूर्ण बकाये की राशि की वसूली जब्त एवं रेफर्ड के मामलों के आवेदनों पर भूल सुधार/पुनर्विचार के लिए रोक लगायी गयी।
कुल		**2,030.78**	**490.46**	

वर्ष 2011-12 के अन्त में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित बकाये राजस्व की स्थिति फरवरी 2013 तक स्मारित एवं अनुरोध किये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गये।

1.5 प्रतिदाय

वर्ष 2011-12 के आरंभ में प्रतिदाय के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय तथा वर्ष के अंत में लंबित मामले नीचे दर्शाये गये हैं:

[3] विभाग द्वारा प्रतिवेदित कुल ₹ 137.31 करोड़ के बकाये में से ₹ 104.44 करोड़ की वसूली की स्थिति को विभाग ने प्रतिवेदित किया।

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	मू.व.क./विद्युत पर कर एवं शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाये दावे	763	24.84
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	23	7.60
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	44	4.38
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	742	28.06
5.	विलम्बित प्रतिदाय के कारण ब्याज का भुगतान	शून्य	शून्य

स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत सूचना।

मू.व.क. के अंतर्गत प्रतिदाय के मामले में नब्बे दिनों से अधिक प्रतिदाय के दावा का आवेदन लंबित होने पर छः प्रतिशत के साधारण ब्याज की दर से बार्षिक ब्याज भुगतेय है। अतः सरकार निर्धारित अवधि में मामलों के निष्पादन हेतु प्रभावी कदम उठा सकती है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.6.1 उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

हम सरकार के विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच के लिए आवर्ती निरीक्षण संचालित करते है एवं यह सत्यापित करते हैं कि लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। हमारे द्वारा किये गये निरीक्षणों का अनुसरण निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताओं जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को शामिल कर निरीक्षित कार्यालय के प्रधानों को तथा उसकी प्रतियाँ उसके बाद के उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार द्वारा प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से हमें निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन करना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2011 तक निर्गत नि.प्र. की हमने समीक्षा की और पाया कि जून 2012 के अंत तक 963 नि.प्र. से सबंधित रू. 9,794.39 करोड़ के राजस्व प्रभाव का 6,100 कंडिकाएँ लंबित थी। साथ ही तत्सबंधी पूर्ववर्ती दो वर्षों के आँकड़े नीचे तालिका में दिये गये हैः

(₹ करोड़ में)

	जून 2010	जून 2011	जून 2012[4]
लंबित नि.प्र. की संख्या	2,166	1,998	963
लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	10,772	9,320	6,100
सन्निहित राशि	7,676.65	11,500.30	9,794.39

[4] वन एवं पर्यावरण एवं जल संसाधन विभाग से सबंधित नि.प्र. एवं लम्बित अवलोकनों को छोड़कर।

30 जून 2012 को विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विस्तृत विवरण तथा इसमें सन्निहित राशि नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य कर	मू.व.क./बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	146	2,665	2,188.57
		प्रवेश कर	48	112	25.79
		विद्युत शुल्क	44	88	59.35
		मनोरंजन कर इत्यादि	22	23	3.59
2.	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	83	364	418.70
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	247	540	1,375.78
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	135	783	397.80
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	108	333	3,419.71
6.	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	130	1,192	1,905.10
कुल			**963**	**6,100**	**9,794.39**

निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर उनके निर्गत होने की तिथि से एक महीना के अंदर कार्यालय प्रधानों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है परन्तु दिसम्बर 2011 तक निर्गत 225 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण नि.प्र. की वृहद लंबनता दर्शाती है कि हमारे द्वारा नि.प्र. में उठायी गयी कमियों चूकों तथा अनियमितताओं को सुधारने हेतु कार्यालय प्रधान एवं विभागाध्यक्ष ने कार्यवाही प्रारंभ नहीं की।

हम अनुशंसा करते है कि सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र एवं उपयुक्त प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकती है। सरकार निर्धारित समय सीमा के अंदर नि.प्र./कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु प्रणाली विकसित कर सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) की कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति के अनुश्रवण एवं शीघ्र निपटारे के लिए सरकार लेखापरीक्षा समिति की स्थापना करती है। वर्ष 2011-12 में 10 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुई और निष्पादित कंडिकाओं का विवरण नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिका की संख्या	राशि
मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2	18	5.32
मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1	11	0.56
राज्य उत्पाद	1	23	5.80
वाहनों पर कर	1	50	22.25
भू-राजस्व	2	2	0.003
अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2	45	2.75
वानिकी एवं वन्य जीवन	1	शून्य	शून्य
कुल	**10**	**149**	**36.68**

1.6.3 लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों से सबंधित कार्यालयों को स्थानीय लेखापरीक्षा के कार्यक्रम अग्रिम में तैयार कर लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से सामान्यतः एक माह पूर्व विभाग को सूचना भेज दी जाती है ताकि विभाग सबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के लिए तैयार रखें।

वर्ष 2011-12 के दौरान हमें चार विभागों (खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन एवं निबंधन विभाग) के आठ कार्यालयों के 33 कर निर्धारण अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे मामलों के कार्यालयवार विवरण नीचे दिये गये हैः

कार्यालय का नाम	कर निर्धारण के मामले/अभिलेखों की संख्या जिन्हें लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया
जिला खनन पदाधिकारी, चतरा	3
भूमि सुधार, उपसमाहर्त्ता (भू.सु.उ.स.) साहेबगंज	15
भू.सु.उ.स., गुमला	4
जिलापरिवहन पदाधिकारी देवघर	3
उप समाहर्त्ता, (उ.स.) मुद्रांक, दुमका	1
उ.स. मुद्रांक, देवघर	2
जिला अवर निबंधक (जि.अ.नि.), जामताड़ा	2
जि.अ.नि., गोड्डा	3
कुल	**33**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

बिहार सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों (1966), जैसा कि झारखण्ड सरकार पर लागू है, स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गये लेखापरीक्षा आपत्तियों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों के निर्गत किये जाने के उपरांत सबंधित प्राधिकारियों द्वारा मंतव्य दिया जाना है। गंभीर अनियमितताओं के अवलोकनों को प्रारूप कंडिकाओं में परिवर्तित किया जाता है और सबंधित प्रशासनिक विभागों/सरकार को उनके उत्तर/मंतव्य छः सप्ताह के अंदर देने हेतु प्रारूप कंडिकाओं को अग्रसारित किया जाता है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या विभाग/सरकार द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो प्रारूप कंडिकाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका के

पटल पर रखे जाने के बाद सरकार सबंधित कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को अग्रसारित करती है एवं जाँच के लिए प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) को अग्रसारित किया जाता है। विचार विमर्श के उपरान्त लो.ले.स. कंडिकाओं के पूर्ण निष्पादन के लिये सरकार को छः माह के अन्दर अनुपालन हेतु अनुशंसा करती है।

पैंतालीस प्रारूप कंडिकाओं को (मिलाकर 25 कंडिकाएँ जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है) सरकार के सबंधित विभागों के सचिवों को जुलाई 2012 एवं अगस्त 2012 के बीच में स्मार सहित भेजी गई थी। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा पर विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ अगस्त 2012 में विचार विमर्श हुई। सरकार से निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से सबंधित प्रारूप कंडिकाओं पर प्राप्त उत्तरों को समुचित रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है। तथापि, अन्य मामलों में फरवरी 2013 तक सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

लोक लेखा समिति निर्धारित करती है कि संबंधित विभाग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं एवं समीक्षाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई को दर्शाते हुए विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह के अंदर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती संक्षेपित स्थिति निम्नवत हैः

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमण्डल में उपस्थापित होने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	विचार-विमर्शित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिसका व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुआ है	कंडिकाओं की संख्या जिसका व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुआ है
1	31 मार्च 2000[5]	21.03.2002	36	20	17	19
2	31 मार्च 2001	17.12.2003	35	8	09	26
3	31 मार्च 2002	03.08.2004	27	7	11	16
4	31 मार्च 2003	24.03.2005	42	9	25	17
5	31 मार्च 2004	19.12.2005	31	4	22	09
6	31 मार्च 2005	24.08.2006	29	1	24	05
7	31 मार्च 2006	04.04.2007	27	4	17	10
8	31 मार्च 2007	26.03.2008	36	7	14	22
9	31 मार्च 2008	10.07.2009	42	8	25	17
10	31 मार्च 2009	13.08.2010	41	2	14	27

[5] झारखण्ड के लो.ले.स. में विचार विमर्श हेतु झारखण्ड परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों/जिलों का पुनर्गठन के पूर्व की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के विषय में सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिये गये सूचना लेखापरीक्षा को नहीं थी।

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमण्डल में उपस्थापित होने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	विचार-विमर्शित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिसका व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुआ है	कंडिकाओं की संख्या जिसका व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुआ है
11	31 मार्च 2010	29.08.2011	26	5	03	23
12	31 मार्च 2011	06.09.2012	32	शून्य	शून्य	32
कुल			**404**	**75**	**181**	**223**

31 मार्च 2000 से 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के 12 प्रतिवेदनों में शामिल 404 लंबित कंडिकाओं की हमारे द्वारा किये गए समीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने मात्र 181 कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी समर्पित किया था।

यह दर्शाती है कि कार्यपालिका ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घटित महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई नहीं किया।

1.6.6 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के वर्ष के दौरान विभागों/सरकार ने (लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित कुल ₹ 3,894.36 करोड़ के अवलोकनों में से) ₹ 1,136.92 करोड़ के राजस्व प्रभाव के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसमें 31 मार्च 2012 तक ₹ 785.11 करोड़ की वसूली की जा सकी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	की गई वसूली	
			वर्ष 2011-12[6] के दौरान	2011-12 तक वसूली
2006-07	591.10	201.08	4.88	312.33[7]
2007-08	842.65	153.76	35.33	189.79
2008-09	1,171.03	88.57	26.43	220.64
2009-10	237.97	48.74	23.03	36.99
2010-11	1,051.61	644.77	25.36	25.36
कुल	**3,894.36**	**1,136.92**	**115.03**	**785.11**

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों से सबंधित प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये मुद्दों पर विभागों/सरकार की सबंधित प्रणाली के विश्लेषण के क्रम में **उत्पाद एवं मद्य निषेध** के प्रदर्शन से सबंधित

---

6 आँकड़े वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन और खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े/सूचनाओं पर आधारित है।

7 यद्यपि स्वीकृत राशि ₹ 201.08 करोड़, ₹ 153.76 एवं ₹ 88.57 करोड़ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के क्रमशः 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के थे। सरकार ने मामले की समीक्षा एवं स्वीकार करने के बाद लेखापरीक्षा में इंगित मामलों में क्रमशः ₹ 312.33 करोड़ ₹ 189.79 करोड़ एवं ₹ 220.64 करोड़ की वसूली की।

स्थानीय लेखापरीक्षा में वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान तथा वर्ष 2002-03 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये मामलों का मूल्यांकन किया गया। अनुवर्ती कंडिकाओं 1.7.1 से 1.7.2 में हमारे विश्लेषण के परिणाम की चर्चा है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान **उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग** के संबंध में निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की 31 मार्च 2012 तक की संक्षेपित स्थिति नीचे तालिका में सारणीबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिका	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिका	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिका	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिका	मौद्रिक मूल्य
2002-03	187	1,112	71.73	12	67	21.20	-	-	-	199	1,179	92.93
2003-04	199	1,179	92.93	8	52	27.64	1	85	0.28	206	1,146	120.29
2004-05	206	1,146	120.29	26	209	59.57	-	53	0.31	232	1,302	179.55
2005-06	232	1,302	179.55	17	126	29.16	-	33	0.06	249	1,395	208.65
2006-07	249	1,395	208.65	12	82	21.82	-	9	-	261	1,468	230.47
2007-08	261	1,468	230.47	8	57	72.54	-	36	-	269	1,489	303.01
2008-09	269	1,489	303.01	18	110	82.40	101	510	21.90	186	1,089	363.51
2009-10	186	1,089	363.51	9	48	29.78	104	501	97.36	91	636	295.93
2010-11	91	636	295.93	16	92	211.74	28	203	93.07	79	525	414.60
2011-12	79	525	414.60	19	122	96.33	2	52	11.13	96	595	499.80
कुल	**1,959**	**11,347**	**2,280.67**	**145**	**965**	**652.18**	**236**	**1,482**	**224.11**	**1,868**	**10,830**	**2,708.74**

2002-03 से 2011-12 की अवधि में हमने 145 नि.प्र. जिसमें 965 कंडिकाएँ एवं राजस्व प्रभाव ₹ 652.18 करोड़ था, निर्गत किया। इसी समय हमने 236 नि.प्र. जिसमें 1,482 कंडिकाओं में ₹ 224.11 करोड़ की राशि सन्निहित था, का लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं विभाग द्वारा निरंतर संपर्क के द्वारा निष्पादन किया।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान हमने ₹ 443.66 करोड़ के राजस्व प्रभाव के एक निष्पादन लेखापरीक्षा **'राज्य उत्पाद प्राप्तियाँ का आरोपण एवं संग्रहण'** सहित 44 कंडिकाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया। विभाग ने अब तक 17 कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 26.23 करोड़[8] को स्वीकार किया। तथापि, 2007-08 से 2011-12 के दौरान विभाग ने ₹ 16.00 करोड़ के स्वीकृत मामलों के विरूद्ध ₹ 1.42 करोड़ की वसूली की जो इस अवधि के दौरान स्वीकृत मामले का मात्र नौ प्रतिशत था।

हम अनुशंसा करते हैं कि वसूली की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को कार्रवाई करने हेतु समुचित कदम उठाना चाहिए।

[8] अवधि 2011-12 में स्वीकृत वसूलनीय मामले में ₹ 1.05 करोड़ वित्तीय प्रभाव सलग्न है।

1.7.2.1 विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गयी कार्यवाही

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियाँ) मार्च 2008 में राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से सबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा **'राज्य उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण'** प्रस्तुत की गयी जिसमें हमारे द्वारा अनुशंसाएँ की गई कि सरकार को चाहिएः

- परिशोधित स्पिरिट के आयात पर आयात पास फीस का आरोपण एवं संग्रहण के लिए प्रावधान बनाना;
- बिहार उत्पाद अधिनियम में बकाये को बिलंब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण का प्रावधान बनाना;
- नीलामवाद मामलों को प्रारंभ करना एवं अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना; एवं
- राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण में त्रुटियों को ससमय पता लगाने एवं सुधार को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा एवं एक्साइज इन्टेलिजेन्स ब्यूरो को पुनर्जीवित करना।

समीक्षा में सन्निहित अनुशंसाओं एवं सितम्बर 2008 में संपन्न निर्गमन सम्मेलन में दिये गये आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु अपनायी गयी पद्धति से अवगत कराने हेतु सरकार/विभागों से अनुरोध (अगस्त 2012) किया गया। इस सबंध में हमें विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2013)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों की उसकी राजस्व स्थिति, पिछले लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रवृति तथा अन्य मानदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किए जाते हैं। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर जिनमें अन्य के अलावे सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण मुद्दे एवं कर प्रशासन यथा बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार कमिटी की अनुशंसायें, विगत पाँच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की गुणवत्ता, लेखापरीक्षा का आवृत क्षेत्र एवं विगत पाँच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान संपूर्ण लेखापरीक्षा के रूप में 440 लेखापरीक्षा के लिए योग्य इकाई[9] थे जिसमें से वर्ष के दौरान 117 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः

[9] वन एवं पर्यावरण और जल संसाधन विभाग से संबंधित इकाईयों को छोड़कर।

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	वर्ष 2011-12 में की गई इकाइयों की लेखापरीक्षा
1	मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर	46	21
2	वाहनों पर कर	27	17
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	41	13
4	राज्य उत्पाद	23	19
5	भू-राजस्व	270	30
6	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	33	17
कुल		**440**	**117**

उपर्युक्त तालिका में वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावे, कर प्रशासन की दक्षता की जाँच के लिए **"खनन प्राप्तियों के सबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यकलाप"** पर एक निष्पादन समीक्षा भी किया गया।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.9.1 वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहन, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत शुल्क, खान एवं भूतत्व के 117 इकाइयों के अभिलेखों की हमारी नमूना लेखापरीक्षा में कुल ₹ 1,117.79 करोड़ के 31,791 मामलों में राजस्व के अवनिर्धारण/अल्पारोपण/हानि उद्घटित हुआ। वर्ष के दौरान सबंधित विभागों ने ₹ 306.28 करोड़ के 19,193 मामलों में अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें 2011-12 के दौरान 19,192 मामलों में सन्निहित ₹ 306.12 करोड़ एवं शेष एक मामला 2010-11 में इंगित किया गया।

1.9.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन (अध्याय II से VII) में ₹ 484.72 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कर/शुल्क और ब्याज, अर्थदण्ड आदि नहीं/अल्पारोहण, हानि से सबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा **"खनन प्राप्तियों के सबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यकलाप"** सहित 25 कंडिकायें सम्मिलित है, जिसमें ₹ 404.09 करोड़ वसूलनीय है तथा शेष राशि ₹ 80.63 करोड़ अधिनियमों/नियमों के मानदण्डों के अपालन के कारण सैद्धान्तिक परिहार्य क्षति हुई। विभागों/सरकार ने राज्य उत्पाद से सबंधित ₹ 80.63 करोड़ के सैद्धान्तिक परिहार्य क्षति सहित ₹ 311.07 करोड़ के लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है एवं ₹ 1.49 करोड़ की वसूली की गई। शेष मामलों में उत्तर अप्राप्त हैं (फरवरी 2013)।